(131)

आयोजनागत

संख्याः /XI/2011 56(33)2008

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 15 जून,2011

विषयः– केन्द्र सहायतित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अवमुक्त केन्द्रॉश के सापेक्ष राज्यॉश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 697/5–लेखा–100/एसजीएसवाई/2011–12 दिनॉक 08–06–2011 एव शासनादश सख्याः 891/XI/2011 56(33)2008 दिनॉक 24.5.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए प्रदेश के 13 जनपदों हेतु प्रथम किश्त के भाग–1,भाग–2 एवं भाग–3 के रूप में अवमुक्त केद्रॉश के सापेक्ष राज्यॉश कुल रू0 **344.84 लाख** (रूपये तीन करोड़ चवालिस लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नॉकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन उपायुक्त कार्यक्रम द्वारा एवं व्यय संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा केन्द्रॉश के आवंटन से संबंधित स्वीकृति आदेश के उपरान्त धनराशि की पुष्टि होने पर ही किया जायेगा। धनराशि आवश्यकतानुसार ही आहरित की जाय।

2. राज्यॉश की धनराशि का आवंटन नियमानुसार निर्धारित अनुपातिक आधार पर एवं संबंधित योजना हेतु नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा में योजना की गाइड लाइन के अनुसार किये जाने का दायित्व आपका होगा।

3. प्रश्नगत धनराशि उन्हीं कार्यों/प्रयोजनों पर ही व्यय की जायगी जिनके लिए स्वीकृत की जा रही है, किसी भी स्थिति मे इस धनराशि का व्यवर्तन नहीं किया जायेगा।

4. प्रश्नगत योजना में निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि में से केन्द्रॉश की पूर्व स्वीकृत किश्त की धनराशि के सापेक्ष यदि राज्यॉश की अवशेष देयता हो, की नियमानुसार स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर की जाय।

5. उक्त योजना की धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. उक्त धनराशि को आवंटित एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों / मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. योजना के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी/जारी होने वाले दिशा– निर्देशों तथा मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का परिपालन किया जाना सुनिश्चत किया जाय।

8. योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु नियमानुसार दिये जा रहे अंश का व्यय इन्हीं जातियों के कल्याणार्थ कराये जा रहे विकास कार्यों पर ही किया जाय।

9. स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए तत्संबंधी सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

10. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2012 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11. उपरोक्त प्रस्तर–01 से 10 तक के दिशा निर्देशों में विचलन होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

2– अत: इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनागत पक्ष के अधीन **अनुदान संख्या–19** के लेखाशीर्षक **2501**– ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम– 01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम– 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0102–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (75%के0स0) (जिला योजना) –50 सब्सिडी की मद से रू0 172.42लाख एवं अनुदान संख्या–30 के

अधीन लेखा शीर्षक 2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–02 अनुससूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–0204–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (75% के0स0) (जिला योजना)–50 सब्सिडी मद से रू0 158.63 लाख एवं अनुदान संख्या–31 के अधीन लेखा शीर्षक 2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना–0102–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(75 प्रतिशत के0स0)–50 सब्सिडी मद से रू0 13.79 लाख के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 79 (P) XXXVII–4 /2011 दिनांक 27 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या 1049 /XI /2011 56(33) 2008 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई),ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा देहरादून।
3– आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी /अधिशासी निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
9– निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– नियोजन विभाग/वित्त विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12– समस्त परियोजना निदेशक/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड।
13– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(रविनाथ रमन)
अपर सचिव